रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062020-220251
CG-DL-E-29062020-220251

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1823] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ़ 4, 1942
No. 1823] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASADHA 4, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2049(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 62(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारिख 28 जनवरी 2020 तक उपब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्द कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

मंडल : गारलादीने	**जिला : अनंतपुरमु**		**राज्य : आंध्र प्रदेश**	
क्रमांक	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं.**	**क्षेत्रफल**	
			एकर्	**सेंट्स**
1	१.मोरताडू	79/2A	00	98
2		79/1	00	08
3		72/3	00	45
4		72/2	00	01
5		72/2 (कच्चा रास्ता)	00	01
6		71	00	48
7		70/7	00	39
8		70/8	00	03
9		70/2	00	14
10		69/8	00	12
11		69/4	00	01
12		69/5	00	33
13		68/11	00	33
14		68/4	00	02
15		68/6	00	18
16		68/7	00	06
17		63/1	00	80
18		63/2	00	01
19		60/2A	00	05
20		60/2A (कच्चा रास्ता)	00	01

21	मोरताडू	60/1	00	74
22		60/1 (कच्चा रास्ता)	00	01
23		59	00	53
24		57/2	00	06
25		58/1A	00	44
26		56/2C/1	00	03
27		56/3C	00	03
28		56/3B (नहर)	00	01
29		56/2B (नहर)	00	09
30		56/2A	00	92
31		56/1A	00	87
32		19/3	00	81
33		19/2 (नहर)	00	14
34		19/1	00	38
35		20	00	19
36		18	00	01
37		21	01	30
38		16	00	49
39		14	00	36
40		14 (पक्का रास्ता)	00	05
41	२.गारलादीने	349	0	17
42		348/4	00	30
43		348/4 (कच्चा रास्ता)	00	02
44		348/3	0	36
45		348/2	0	39
46		348/1	0	25
47		346/5	0	01
48		346/4	0	30
49		346/3	0	24
50		346/2	0	25
51		347	0	01

52	गारलादीने	346/1	0	28
53		345	0	78
54		344	1	12
55		342/1	01	02
56		342/1 (कच्चा रास्ता)	00	01
57		321	01	84
58		321 (कच्चा रास्ता)	00	01
59		320/1	0	29
60	३.बुदेडू	196/2	00	34
61		195/3	00	26
62		195/5	00	11
63		195/2	00	23
64		114/4	00	05
65		116/2	01	38
66		115/1	00	62
67		115/1 (कच्चा रास्ता)	00	01
68		115/2	00	01
69		117	00	27
70		112/3	00	07
71		112/3 (कच्चा रास्ता)	00	01
72		112/1	00	67
73		109	00	60
74		98/3	00	05
75		94	01	18
76		95/1	00	29
77		89	00	56
78		89 (कच्चा रास्ता)	00	02
79		13/2	00	01
80		13/1	00	86
81		13/1 (कच्चा रास्ता)	00	04
82		14/1	00	37

83	बुदेडू	15	00	95
84		15 (कच्चा रास्ता)	00	02
85		16/2	00	06
86		19/1	00	47
87		24	00	28
88		18/3	00	11
89		18/2	00	30
90		18/1	00	18
91		27/1	00	30
92	४.सिरीवरम	308	01	68
93		305	00	13
94		307/2	00	01
95		306/3	00	56
96		306/3 (कच्चा रास्ता)	00	03
97		225/5	00	57
98		225/4 (कच्चा रास्ता)	00	02
99		225/3	00	55
100		226	01	16
101		227	00	67
102		230	00	91
103		232	00	34
104		119/6	00	78
105		119/5	00	12
106		119/1 (पक्का रास्ता)	00	04
107		116	00	43
108		115	00	68
109		122/1	00	46
110		123/2	00	39
111		123/1	00	45
112		37	00	49
113		36	00	54

114	सिरीवरम	35	00	47
115		31	00	64
116		18	00	61
117		16	00	58
118		13	00	51
119		7/1	00	01
120		7/2	00	19
121		8/6	00	26
122		8/5	00	40
123		8/3	00	15
124		8/2	00	31
125		9/4	00	18
126		9/3	00	40
127	५. अंकमपेटा	22/4	00	22
128		22/3	00	25
129		22/2	00	12
130		22/1	00	09
131		21/4	00	15
132		21/3	00	01
133		20/3	00	03
134		20/2	00	18
135		20/1	00	19
136		20/1 (पक्का रास्ता)	00	03
137		19/3	00	08
138		19/2	00	11
139		19/1	00	08
140		18/2	00	21
141		18/1	00	15
142		12/2	00	22
143		12/1	00	21
144		11/2	00	23

145	अंकमपेटा	11/1	00	23
146	६. मुंतिमाडुगु	123	00	01
147		122	00	36
148		120/2	00	76
149		120/1/B	00	19
150		119/3	00	73
151		117/3	00	35
152		116/3	00	40
153		113/1D	00	76
154		113/1B (इलुरु नहर)	00	36
155		113/1A	00	26
156		112/2B	00	53
157		106/25	00	21
158		106/4	00	11
159		106/20	00	02
160		106/8	00	18
161		106/7	00	31
162		106/3	00	59
163		106/1	00	30
164		103/1	00	68
165		103/1 (पक्का रास्ता)	00	03
166		67	00	05
167		66	00	20
168		62	00	19
169		61	00	47
170		60	00	18
171		59	00	07
172		58	00	01
173		40/4	00	02
174		40/3	00	01
175		40/2	00	01

176	मुंतिमाडुगु	41/4	00	01
177		41/3	00	08
178		41/2	00	21
179		41/1	00	25
180		43/1	00	04
181		43/1 (नाला)	00	06
182		29	00	04
183		26	00	19
184		27	00	03
185		474 (पेनरु नदी)	02	47

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2049(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.62(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 28 January 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Garladinne		District : Ananthapuramu	State : Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name Of The Village	Survey No.	Area	
			Acres	Cents
1	1.Marthadu	79/2A	00	98
2		79/1	00	08
3		72/3	00	45
4		72/2	00	01
5		72/2 (Cart track)	00	01
6		71	00	48
7		70/7	00	39
8		70/8	00	03
9		70/2	00	14
10		69/8	00	12
11		69/4	00	01
12		69/5	00	33
13		68/11	00	33
14		68/4	00	02
15		68/6	00	18
16		68/7	00	06
17		63/1	00	80
18		63/2	00	01
19		60/2A	00	05
20		60/2A (Cart track)	00	01
21		60/1	00	74
22		60/1 (Cart track)	00	01
23		59	00	53
24		57/2	00	06
25		58/1A	00	44
26		56/2C/1	00	03
27		56/3C	00	03
28		56/3B (Canal)	00	01
29		56/2B (Canal)	00	09
30		56/2A	00	92
31		56/1A	00	87
32		19/3	00	81
33		19/2 (Canal)	00	14
34		19/1	00	38
35		20	00	19
36		18	00	01
37		21	01	30
38		16	00	49
39		14	00	36
40		14 (Road)	00	05
41	2.Garladinne	349	00	17
42		348/4	00	30
43		348/4 (Cart track)	00	02
44		348/3	00	36
45		348/2	00	39
46		348/1	00	25
47		346/5	00	01
48		346/4	00	30

49	Garladinne	346/3	00	24
50		346/2	00	25
51		347	00	01
52		346/1	00	28
53		345	00	78
54		344	01	12
55		342/1	01	02
56		342/1 (Cart track)	00	01
57		321	01	84
58		321 (Cart track)	00	01
59		320/1	00	29
60	3.Budedu	196/2	00	34
61		195/3	00	26
62		195/5	00	11
63		195/2	00	23
64		114/4	00	05
65		116/2	01	38
66		115/1	00	62
67		115/1 (Cart track)	00	01
68		115/2	00	01
69		117	00	27
70		112/3	00	07
71		112/3 (Cart track)	00	01
72		112/1	00	67
73		109	00	60
74		98/3	00	05
75		94	01	18
76		95/1	00	29
77		89	00	56
78		89 (Cart track)	00	02
79		13/2	00	01
80		13/1	00	86
81		13/1 (Cart track)	00	04
82		14/1	00	37
83		15	00	95
84		15 (Cart track)	00	02
85		16/2	00	06
86		19/1	00	47
87		24	00	28
88		18/3	00	11
89		18/2	00	30
90		18/1	00	18
91		27/1	00	30
92	4.Sirivaram	308	01	68
93		305	00	13
94		307/2	00	01
95		306/3	00	56
96		306/3 (Cart track)	00	03
97		225/5	00	57
98		225/4 (Cart track)	00	02
99		225/3	00	55
100		226	01	16

101	Sirivaram	227	00	67
102		230	00	91
103		232	00	34
104		119/6	00	78
105		119/5	00	12
106		119/1 (Road)	00	04
107		116	00	43
108		115	00	68
109		122/1	00	46
110		123/2	00	39
111		123/1	00	45
112		37	00	49
113		36	00	54
114		35	00	47
115		31	00	64
116		18	00	61
117		16	00	58
118		13	00	51
119		7/1	00	01
120		7/2	00	19
121		8/6	00	26
122		8/5	00	40
123		8/3	00	15
124		8/2	00	31
125		9/4	00	18
126		9/3	00	40
127	5.Ankampeta	22/4	00	22
128		22/3	00	25
129		22/2	00	12
130		22/1	00	09
131		21/4	00	15
132		21/3	00	01
133		20/3	00	03
134		20/2	00	18
135		20/1	00	19
136		20/1 (Road)	00	03
137		19/3	00	08
138		19/2	00	11
139		19/1	00	08
140		18/2	00	21
141		18/1	00	15
142		12/2	00	22
143		12/1	00	21
144		11/2	00	23
145		11/1	00	23
146	6.Muntimadugu	123	00	01
147		122	00	36
148		120/2	00	76
149		120/1/B	00	19
150		119/3	00	73
151		117/3	00	35
152		116/3	00	40

153	Muntimadugu	113/1D	00	76
154		113/1B (Illuru Distributary No.5 Canal)	00	36
155		113/1A	00	26
156		112/2B	00	53
157		106/25	00	21
158		106/4	00	11
159		106/20	00	02
160		106/8	00	18
161		106/7	00	31
162		106/3	00	59
163		106/1	00	30
164		103/1	00	68
165		103/1 (Road)	00	03
166		67	00	05
167		66	00	20
168		62	00	19
169		61	00	47
170		60	00	18
171		59	00	07
172		58	00	01
173		40/4	00	02
174		40/3	00	01
175		40/2	00	01
176		41/4	00	01
177		41/3	00	08
178		41/2	00	21
179		41/1	00	25
180		43/1	00	04
181		43/1 (Nala)	00	06
182		29	00	04
183		26	00	19
184		27	00	03
185		474 (Penneru River)	02	47

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2050(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 62(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 18 जनवरी 2020 तक उपलब्द करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्द कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

मंडल : कल्याणदुर्गम	**जिला : अनंतपुरमु**		**राज्य : आंध्र प्रदेश**	
क्रमांक	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं**	**क्षेत्रफल**	
			एकर्	**सेंट्स**
1	१.वारला	197	00	05
2		197 (कचा रास्ता)	00	02
3		194/5	00	21
4		194/1	00	48
5		194/2	00	74
6		192/1	01	91
7		192/1 (कचा रास्ता)	00	02
8		193	00	07
9		193 (कचा रास्ता)	00	01
10		181	01	32
11		182	00	40
12		176	00	80
13		160	00	10
14		159/2	01	00
15		159/1C	00	45

16	वारला	158	00	83
17		155 (पक्का रास्ता)	00	10
18		129/1	02	68
19		128	00	45
20	२.मुदिनयानीपल्ली	208	00	14
21		207/1	03	03
22		207/1 (कचा रास्ता)	00	03
23		207/1 (नाला)	00	12
24		206	00	56
25		206 (कचा रास्ता)	00	01
26		455/3	00	03
27		460/2	00	02
28		461/2	00	35
29		461/1	00	44
30		459/2	00	47
31		459/1	00	55
32		457/2	00	22
33		244/8	00	19
34		244/7	00	50
35		244/6	00	43
36		244/5	00	33
37		244/4	00	36
38		244/3	00	06
39		216	00	67
40		188/2	00	50
41		188/1	00	30
42		188/1 (कचा रास्ता)	00	02
43		690/1	00	08
44		189/2	00	01
45		689/1	00	01
46		689/3	00	54

47	मुदिनयानीपल्ली	689/2	00	57
48		688/3	00	40
49		693/2	00	23
50		693/1	00	51
51		694/3	00	64
52		694/2	00	02
53		695/1	00	05
54		695/2	00	26
55		187/9	00	17
56		187/8	00	29
57		187/7	00	38
58		187/6	00	55
59		187/3 (पक्का रास्ता)	00	05
60		187/5	00	12
61		415/2	00	19
62		415/1	00	71
63		414/1	00	04
64		414/2	00	15
65		413/1	00	72
66		181	01	36
67		181 (कच्चा रास्ता)	00	02
68		178/1/B	00	01
69		178/1A/1	00	09
70		178/1A/2	00	22
71		178/1A/3	00	02
72		178/1A/4	00	06
73		177	00	59
74		176/4	00	42
75		176/5	00	42
76		169/2	00	88
77		169/4	00	02

78	मुदिनयानीपल्ली	475/1	00	39
79		474/1	00	53
80		474/2	00	18
81		708/1	00	45
82		708/1 (कच्चा रास्ता)	00	01
83		708/2	00	01
84		704	00	70
85		704 (कच्चा रास्ता)	00	01
86		707/1	00	90
87		707/2	00	03
88		706/3	00	07
89		706/2	00	14
90		163	01	00
91		259/1	00	50
92		259/2	00	11
93		259/2 (कच्चा रास्ता)	00	01
94		264	00	58
95		269/1	00	91
96		269/2	00	08
97		268/2	00	01
98		268/3	00	49
99		268/3 (पक्का रास्ता)	00	03
100		271/2	00	63
101		271/3	00	33
102		272/2	00	81
103		272/3	00	01
104		385/2	00	45
105		385/3	00	56
106		385/3 (कच्चा रास्ता)	00	03
107		386/2	00	22
108		386/1	00	04

109	मुदिनयानीपल्ली	380/2	00	27
110		380/3	00	57
111		379/2	00	39
112		379/1	00	04
113		378/2	00	31
114		378/3	00	30
115		108	01	14
116		638/2	00	01
117		638/3	00	01
118		104/1	00	08
119		639/2	00	88
120		639/2 (कच्चा रास्ता)	00	02
121		639/1	00	30
122		640/1	00	47
123		636/3	00	04
124		636/2	00	24
125		635/1	00	57
126		634/1	00	37
127		634/2	00	42
128		634/2 (नाला)	00	17
129		241	00	01
130		150	00	03
131		147/1	00	01
132		147/6	00	75
133		147/5	00	33
134		147/4	00	34
135		556/1	00	03
136		557/2	00	58
137		557/1	00	56
138		558/2	00	57
139		558/1	00	52

140	मुदिनयानीपल्ली	574/2	00	22
141		574/1	00	35
142		574/1 (पक्का रास्ता)	00	04
143		577/1	00	14
144		576/3	00	03
145		576/1	00	84
146		576/2	00	15
147		565/3	00	84
148		565/1	00	03
149		564/2	00	40
150		564/1	00	29
151	३.मनीरेवु	280/1	00	18
152		270 (पेनरु नदी)	00	75
153		257	00	55
154		257 (कचा रास्ता)	00	02
155		258	01	69
156		259	00	22
157		254	01	47
158		254(कचा रास्ता)	00	02
159		71	01	13
160		71 (पक्का रास्ता)	00	06
161		73	00	60
162		75	00	77
163		78/2	00	02
164		78/1	00	28
165		79	00	01
166		82	00	65
167		434	00	47
168		433	00	81
169		432	00	84
170		428	00	33

171	मनीरेवु	428 (कच्चा रास्ता)	00	01
172		429	00	59
173		90	00	90
174		336/2	00	20
175		336/1B	00	05
176		336/1A	00	92
177		92/1B	00	86
178		92/1A	00	69
179		92/2	00	38

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2050(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.62(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 18 January 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Kalyandurgam	**District : Ananthapuramu**	**State : Andhra Pradesh**		
Sl.No.	**Name Of The Village**	**Survey No.**	**Area**	
			Acres	**Cents**
1	1. Varla	197	00	05
2		197 (Cart track)	00	02
3		194/5	00	21
4		194/1	00	48
5		194/2	00	74
6		192/1	01	91
7		192/1 (Cart track)	00	02
8		193	00	07
9		193 (Cart track)	00	01
10		181	01	32
11		182	00	40
12		176	00	80
13		160	00	10
14		159/2	1	00
15		159/1C	00	45
16		158	00	83
17		155 (Road)	00	10
18		129/1	02	68
19		128	00	45
20	2. Muddinayanipalli	208	00	14
21		207/1	03	03
22		207/1 (Cart track)	00	03
23		207/1 (Nala)	00	12
24		206	00	56
25		206 (Cart track)	00	01
26		455/3	00	03
27		460/2	00	02
28		461/2	00	35
29		461/1	00	44
30		459/2	00	47
31		459/1	00	55
32		457/2	00	22
33		244/8	00	19
34		244/7	00	50
35		244/6	00	43
36		244/5	00	33
37		244/4	00	36
38		244/3	00	06
39		216	00	67
40		188/2	00	50
41		188/1	00	30
42		188/1 (Cart track)	00	02
43		690/1	00	08
44		189/2	00	01
45		689/1	00	01
46		689/3	00	54
47		689/2	00	57
48		688/3	00	40
49		693/2	00	23

50	Muddinayanipalli	693/1	00	51
51		694/3	00	64
52		694/2	00	02
53		695/1	00	05
54		695/2	00	26
55		187/9	00	17
56		187/8	00	29
57		187/7	00	38
58		187/6	00	55
59		187/3 (Road)	00	05
60		187/5	00	12
61		415/2	00	19
62		415/1	00	71
63		414/1	00	04
64		414/2	00	15
65		413/1	00	72
66		181	01	36
67		181 (Cart track)	00	02
68		178/1/B	00	01
69		178/1A/1	00	09
70		178/1A/2	00	22
71		178/1A/3	00	02
72		178/1A/4	00	06
73		177	00	59
74		176/4	00	42
75		176/5	00	42
76		169/2	00	88
77		169/4	00	02
78		475/1	00	39
79		474/1	00	53
80		474/2	00	18
81		708/1	00	45
82		708/1 (Cart track)	00	01
83		708/2	00	01
84		704	00	70
85		704 (Cart track)	00	01
86		707/1	00	90
87		707/2	00	03
88		706/3	00	07
89		706/2	00	14
90		163	01	00
91		259/1	00	50
92		259/2	00	11
93		259/2 (Cart track)	00	01
94		264	00	58
95		269/1	00	91
96		269/2	00	08
97		268/2	00	01
98		268/3	00	49
99		268/3 (Road)	00	03
100		271/2	00	63
101		271/3	00	33

102	Muddinayanipalli	272/2	00	81
103		272/3	00	01
104		385/2	00	45
105		385/3	00	56
106		385/3 (Cart track)	00	03
107		386/2	00	22
108		386/1	00	04
109		380/2	00	27
110		380/3	00	57
111		379/2	00	39
112		379/1	00	04
113		378/2	00	31
114		378/3	00	30
115		108	01	14
116		638/2	00	01
117		638/3	00	01
118		104/1	00	08
119		639/2	00	88
120		639/2 (Cart track)	00	02
121		639/1	00	30
122		640/1	00	47
123		636/3	00	04
124		636/2	00	24
125		635/1	00	57
126		634/1	00	37
127		634/2	00	42
128		634/2 (Nala)	00	17
129		241	00	01
130		150	00	03
131		147/1	00	01
132		147/6	00	75
133		147/5	00	33
134		147/4	00	34
135		556/1	00	03
136		557/2	00	58
137		557/1	00	56
138		558/2	00	57
139		558/1	00	52
140		574/2	00	22
141		574/1	00	35
142		574/1 (Road)	00	04
143		577/1	00	14
144		576/3	00	03
145		576/1	00	84
146		576/2	00	15
147		565/3	00	84
148		565/1	00	03
149		564/2	00	40
150		564/1	00	29
151	3. Manirevu	280/1	00	18
152		270 (Penneru River)	00	75
153		257	00	55

154	Manirevu	257 (Cart track)	00	02
155		258	01	69
156		259	00	22
157		254	01	47
158		254(Cart track)	00	02
159		71	01	13
160		71 (Road)	00	06
161		73	00	60
162		75	00	77
163		78/2	00	02
164		78/1	00	28
165		79	00	01
166		82	00	65
167		434	00	47
168		433	00	81
169		432	00	84
170		428	00	33
171		428 (Cart track)	00	01
172		429	00	59
173		90	00	90
174		336/2	00	20
175		336/1B	00	05
176		336/1A	00	92
177		92/1B	00	86
178		92/1A	00	69
179		92/2	00	38

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2051 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 62(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्रप्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारिख 13 जनवरी 2020 तक उपलब्द करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्द कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

मंडल : कंबादुर	**जिला : अनंतपुरमु**		**राज्य : आंध्र प्रदेश**	
क्रमांक	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं**	**क्षेत्रफल**	
			एकर्	**सेंट्स**
1	१.मुलाकानुर	447/2	01	41
2		449/2	00	03
3		446/2	00	01
4		449/1	00	55
5		450/2	00	37
6		450/1	00	55
7		453	00	67
8		453 (कच्चा रास्ता)	00	02
9		452/2A	00	01
10		452/2B	00	07
11		452/2C	00	13
12		452/2D	00	13
13		452/2D (कच्चा रास्ता)	00	03
14		459/5	00	50
15		459/1	00	28
16		459/4	00	39
17		461/1	00	30
18		461/2	00	05
19		461/3	00	15
20		461/3 (कच्चा रास्ता)	00	01

21	मुलाकानुर	476/1	00	44
22		475/1	00	01
23		475/2	00	45
24		474/1	00	18
25		467/2	00	41
26		467/3	00	53
27		467/3 (पक्का रास्ता)	00	04
28		467/4	00	24
29		468/1	00	70
30		468/2	00	12
31		406	00	99
32		405/1	00	29
33		404/2	00	52
34		519/1	01	81
35		521	00	41
36		524/1	00	06
37		524/2A	00	25
38		518	00	85
39		514	00	91
40		513	00	65
41		510/1	00	74
42		510/2	00	40
43		510/3	00	17
44		675 (पक्का रास्ता)	00	16
45		674/1	00	21
46		674/2 (कच्चा रास्ता)	00	03
47		674/3	00	06
48		657	00	50
49		658/1	00	01
50		658/2	00	60
51		658/2 (रेललाइन)	00	17

52	मुलाकानुर	659	00	30
53		660/2	00	63
54		660/1	00	11
55		648	00	43
56		642/3	00	50
57		642/2	00	07
58		643/1	00	41
59		643/2	00	21
60		640	00	69
61		639	00	12
62		635	00	52
63		638	01	14
64		637	00	57
65		637 (पक्का रास्ता)	00	05
66		630/3	00	03
67		630/2B	00	38
68		630/2A	00	41
69		627	00	13
70		627 (नाला)	00	07
71		626/2	00	01
72		626/1	00	01
73	२.पाल्लूर	216	00	01
74		215	00	10
75		197/2	00	70
76		197/1	01	49
77		197/3A	00	21
78		194/8	00	32
79		194/9	00	30
80		194/10	00	22
81		194/3	00	03
82		194/11	00	04

83	पाल्लूर	194/5	00	94
84		194/6	00	04
85		194/4	00	43
86		195	00	86
87		194/1	00	08
88		196	00	01
89		192	01	07
90		192 (कच्चा रास्ता)	00	03
91		188	00	37
92		191	01	75
93		32/1	00	82
94		31	02	98
95		31 (कच्चा रास्ता)	00	04
96		32/2	00	13
97		33	00	69
98		33 (कच्चा रास्ता)	00	05
99		10/3	01	25
100		10/2	01	33
101		10/2 (कच्चा रास्ता)	00	02
102		10/1	01	15
103		8/1	01	53
104		8/1 (कच्चा रास्ता)	00	02
105		8/2	00	04
106		56/2	00	34
107		56/1	00	51
108		56/1 (कच्चा रास्ता)	00	01
109		56/4	00	38
110		56/3	00	01
111		63/2C	00	09
112		62/1	00	42
113		66/3	00	01

114	पाल्लूर	62/2	00	01
115		66/2B	00	09
116		66/5A	00	29
117		66/5B	00	18
118		66/4	00	16
119		67/1	00	31
120		68	01	15
121		68 (कच्चा रास्ता)	00	03
122		69/2	00	45
123		70/615	00	31
124		70/614	00	72
125		70/613	00	54
126		70/5	00	18
127		71	00	04

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2051(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.62(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 18 January 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Kambadur	**District : Ananthapuramu**	**State : Andhra Pradesh**		
Sl.No.	**Name Of The Village**	**Survey No.**	**Area**	
			Acres	**Cents**
1	1. Mulakanur	447/2	01	41
2		449/2	00	03
3		446/2	00	01
4		449/1	00	55
5		450/2	00	37
6		450/1	00	55
7		453	00	67
8		453 (Cart track)	00	02
9		452/2A	00	01
10		452/2B	00	07
11		452/2C	00	13
12		452/2D	00	13
13		452/2D (Cart track)	00	03
14		459/5	00	50
15		459/1	00	28
16		459/4	00	39
17		461/1	00	30
18		461/2	00	05
19		461/3	00	15
20		461/3 (Cart track)	00	01
21		476/1	00	44
22		475/1	00	01
23		475/2	00	45
24		474/1	00	18
25		467/2	00	41
26		467/3	00	53
27		467/3 (Road)	00	04
28		467/4	00	24
29		468/1	00	70
30		468/2	00	12
31		406	00	99
32		405/1	00	29
33		404/2	00	52
34		519/1	01	81
35		521	00	41
36		524/1	00	06
37		524/2A	00	25
38		518	00	85
39		514	00	91
40		513	00	65
41		510/1	00	74
42		510/2	00	40
43		510/3	00	17
44		675 (Road)	00	16
45		674/1	00	21
46		674/2 (Cart track)	00	03
47		674/3	00	06
48		657	00	50
49		658/1	00	01

50	Mulakanur	658/2	00	60
51		658/2 (Railway)	00	17
52		659	00	30
53		660/2	00	63
54		660/1	00	11
55		648	00	43
56		642/3	00	50
57		642/2	00	07
58		643/1	00	41
59		643/2	00	21
60		640	00	69
61		639	00	12
62		635	00	52
63		638	01	14
64		637	00	57
65		637 (Road)	00	05
66		630/3	00	03
67		630/2B	00	38
68		630/2A	00	41
69		627	00	13
70		627 (Nala)	00	07
71		626/2	00	01
72		626/1	00	01
73	2. Pallur	216	00	01
74		215	00	10
75		197/2	00	70
76		197/1	01	49
77		197/3A	00	21
78		194/8	00	32
79		194/9	00	30
80		194/10	00	22
81		194/3	00	03
82		194/11	00	04
83		194/6	00	04
84		194/5	00	94
85		194/4	00	43
86		195	00	86
87		194/1	00	08
88		196	00	01
89		192	01	07
90		192 (Cart track)	00	03
91		188	00	37
92		191	01	75
93		32/1	00	82
94		31	02	98
95		31 (Cart track)	00	04
96		32/2	00	13
97		33	00	69
98		33 (Cart track)	00	05
99		10/3	01	25
100		10/2	01	33
101		10/2 (Cart track)	00	02

102	Pallur	10/1	01	15
103		8/1	01	53
104		8/1 (Cart track)	00	02
105		8/2	00	04
106		56/2	00	34
107		56/1	00	51
108		56/1 (Cart track)	00	01
109		56/4	00	38
110		56/3	00	01
111		63/2C	00	09
112		62/1	00	42
113		66/3	00	01
114		62/2	00	01
115		66/2B	00	09
116		66/5A	00	29
117		66/5B	00	18
118		66/4	00	16
119		67/1	00	31
120		68	01	15
121		68 (Cart track)	00	03
122		69/2	00	45
123		70/615	00	31
124		70/614	00	72
125		70/613	00	54
126		70/5	00	18
127		71	00	04

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2052(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 62(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्रप्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारिख 29 जनवरी 2020 तक उपलब्द करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्द कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

मंडल : कुडेरु	**जिला : अनंतपुरमु**	**राज्य : आंध्र प्रदेश**		
क्रमांक	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं**	**क्षेत्रफल**	
			एकर्	**सेंट्स**
1	१.थीम्मापुरम	458	01	07
2		458 (कच्चा रास्ता)	00	07
3		459	00	38
4		460	01	59
5		461	00	11
6		462	00	62
7		462 (कच्चा रास्ता)	00	02
8		287	01	01
9		287 (कच्चा रास्ता)	00	01
10		286	01	80
11		285	00	55
12		282/1	00	47
13		282/2A	00	52
14		282/2B	00	30
15		281	00	35
16		259	01	26
17		275	00	35
18		275 (कच्चा रास्ता)	00	02
19		271	01	40
20		274	00	35

21	थीम्मापुरम	274 (कच्चा रास्ता)	00	01
22		273	00	26
23		70/2	00	61
24		69/1	00	01
25		66	00	14
26		64	00	39
27		63/1	00	80
28		63/2	00	42
29		62	00	38
30		59	00	06
31	२.कुडेरु	148	00	03
32		146/2	01	52
33		146/2 (कच्चा रास्ता)	00	01
34		146/1	00	19
35		146/3	01	07
36		144	00	88
37		144 (कच्चा रास्ता)	00	02
38		145	00	02
39		134	00	93
40		134 (कच्चा रास्ता)	00	01
41		136/2	00	57
42		142 (नाला)	00	09
43		141	00	79
44		264	00	17
45		140	00	25
46		139/3	00	27
47		139/2	00	27
48		139/1	00	27
49		267	00	13
50		266	00	35
51		268	00	62

52	कुडेरु	269	00	54
53		280 (पक्का रास्ता)	00	16
54		281	00	54
55		284	00	67
56		285	00	77
57		288 (एन.एच.42))	00	32
58		290	00	87
59		292/2	00	03
60		292/3	00	46
61		293	00	25
62		335	01	05
63		335 (कच्चा रास्ता)	00	08
64		334	00	63
65		339	00	32
66		332/2	00	13
67		332/1	00	68
68		331	00	26
69		330/1	00	18
70		330/3	00	45
71		330/2	00	41
72		328/1 (पक्का रास्ता)	00	10
73		328/2	00	46
74		328/2 (कच्चा रास्ता)	00	03
75		321	00	80
76		324/1A	00	26
77		323	00	87
78		515	01	17
79		516	01	10
80		516 (कच्चा रास्ता)	00	01
81		517/1	00	30
82		517/2	00	28

83	कुडेरु	532	00	20
84		530/1	00	07
85		531/1B	01	47
86		531/1B (कच्चा रास्ता)	00	01
87		531/2	00	73
88		535	04	22
89		535 (कच्चा रास्ता)	00	04
90		535 (नहर)	00	25
91		540/2B	00	08
92		540/2A	00	25
93		540/1	00	47
94		541	00	11
95		542/2 (नाला)	00	19
96		542/1 (नाला)	00	19
97		539	00	61
98	३.कामुरु	208	00	58
99		212	01	30
100		212 (कच्चा रास्ता)	00	02
101		212 (नाला)	00	08
102		207	00	22
103		207 (कच्चा रास्ता)	00	05
104		213	00	35
105		213 (नाला)	00	02
106		214/1/a	00	76
107		214/1/B	00	62
108		215/1	00	60
109		220	03	90
110		220 (कच्चा रास्ता)	00	03
111		233	00	06
112		232	00	01
113		235	00	96

114	कामुरु	235 (कच्चा रास्ता)	00	02
115		234/1	00	41
116		234/1 (नाला)	00	06
117		243	00	35
118		244	00	57
119		248	00	59
120		248 (कच्चा रास्ता)	00	01
121		249/2	00	31
122		249/3	00	32
123		252/4	00	77
124		252/6	00	03
125		255	00	51
126		253	00	06
127		252/1	00	20
128		252/2	00	19
129		252/3	00	45
130		255	00	55
131		263	00	41
132		263 (कच्चा रास्ता)	00	02
133		262	00	36
134		265	00	14
135		265 (नाला)	00	15
136		265 (कच्चा रास्ता)	00	04
137		267/3	00	34
138		267/3 (कच्चा रास्ता)	00	02
139		266/1	00	02
140		266/2	00	05
141		266/3	00	33
142		272	00	30
143		272 (नाला)	00	07
144		305	00	01

145	कामुरु	279	01	84
146		280	00	20
147		281	00	26
148		282/4	00	25
149		282/3	00	30
150		289/1	00	41
151		289/4	00	55
152		289/2 (पक्का रास्ता)	00	18
153		289/3	00	99
154		289/3 (नाला)	00	08
155		290/3	00	24
156		290/4	00	03
157	४.गोटुकुरु	124/1	00	36
158		124/3	00	04
159		124/4	01	12
160		125	00	01
161		122	01	49
162		122 (कच्चा रास्ता)	00	01
163		129	00	24
164		130/4	00	73
165		130/3	00	41
166		130/3 (कच्चा रास्ता)	00	01
167		139	00	25
168		132/1	00	75
169		138	00	02
170		134	00	51
171		136/2A	00	38
172		136/2A (कच्चा रास्ता)	00	01
173		136/B	00	46
174		135/2	00	56
175		135/3B	00	09

176	गोटुकुरु	135/3A	00	49
177		135/4A	00	02
178		171/1	00	23
179		171/2	00	13
180		171/3	00	22
181		172	00	80
182		166/2	00	43
183		165/3	00	49
184		163/2B	00	47
185		161	00	68
186		159/1B	00	40
187		159/1A	00	39
188		159/1A (कच्चा रास्ता)	00	01
189		158/1	00	28
190		158/2	00	28
191		324/1	00	48
192		324/3	00	01
193		324/2	00	58
194		325/1	00	01
195		324/4	00	03
196		325/5	00	44
197		325/3	00	05
198		325/2	01	27
199		314	00	01
200		313	00	76
201		312	01	51
202		310	00	45

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2052(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.62(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 29 January 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Kudair	**District : Ananthapuramu**	**State : Andhra Pradesh**		
Sl.No.	**Name of the Village**	**Survey No.**	**Area**	
			Acres	**Cents**
1	1. Timmapuram	458	01	07
2		458 (Cart track)	00	07
3		459	00	38
4		460	01	59
5		461	00	11
6		462	00	62
7		462 (Cart track)	00	02
8		287	01	01
9		287 (Cart track)	00	01
10		286	01	80
11		285	00	55
12		282/1	00	47
13		282/2A	00	52
14		282/2B	00	30
15		281	00	35
16		259	01	26
17		275	00	35
18		275 (Cart track)	00	02
19		271	01	40
20		274	00	35

21	Timmapuram	274 (Cart track)	00	01
22		273	00	26
23		70/2	00	61
24		69/1	00	01
25		66	00	14
26		64	00	39
27		63/1	00	80
28		63/2	00	42
29		62	00	38
30		59	00	06
31	2. Kudair	148	00	03
32		146/2	01	52
33		146/2 (Cart track)	00	01
34		146/1	00	19
35		146/3	01	07
36		144	00	88
37		144 (Cart track)	00	02
38		145	00	02
39		134	00	93
40		134 (Cart track)	00	01
41		136/2	00	57
42		142 (Nala)	00	09
43		141	00	79
44		264	00	17
45		140	00	25
46		139/3	00	27
47		139/2	00	27
48		139/1	00	27
49		267	00	13
50		266	00	35
51		268	00	62
52		269	00	54
53		280 (Road)	00	16
54		281	00	54
55		284	00	67
56		285	00	77
57		288 (NH-42)	00	32
58		290	00	87
59		292/2	00	03
60		292/3	00	46
61		293	00	25
62		335	01	05
63		335 (Cart track)	00	08
64		334	00	63
65		339	00	32
66		332/2	00	13
67		332/1	00	68
68		331	00	26
69		330/1	00	18
70		330/3	00	45
71		330/2	00	41
72		328/1 (Road)	00	10

73	Kudair	328/2	00	46
74		328/2 (Cart track)	00	03
75		321	00	80
76		324/1A	00	26
77		323	00	87
78		515	01	17
79		516	01	10
80		516 (Cart track)	00	01
81		517/1	00	30
82		517/2	00	28
83		532	00	20
84		530/1	00	07
85		531/1B	01	47
86		531/1B (Cart track)	00	01
87		531/2	00	73
88		535	04	22
89		535 (Cart track)	00	04
90		535 (Lined Canal)	00	25
91		540/2B	00	08
92		540/2A	00	25
93		540/1	00	47
94		541	00	11
95		542/2 (Nala)	00	19
96		542/1 (Nala)	00	19
97		539	00	61
98	3. Kammuru	208	00	58
99		212	01	30
100		212 (Cart track)	00	02
101		212 (Nala)	00	08
102		207	00	22
103		207 (Cart track)	00	05
104		213	00	35
105		213 (Nala)	00	02
106		214/1/a	00	76
107		214/1/B	00	62
108		215/1	00	60
109		220	03	90
110		220 (Cart track)	00	03
111		233	00	06
112		232	00	01
113		235	00	96
114		235 (Cart track)	00	02
115		234/1	00	41
116		234/1 (Nala)	00	06
117		243	00	35
118		244	00	57
119		248	00	59
120		248 (Cart track)	00	01
121		249/2	00	31
122		249/3	00	32
123		252/4	00	77
124		252/6	00	03

125	Kammuru	255	00	51
126		253	00	06
127		252/1	00	20
128		252/2	00	19
129		252/3	00	45
130		255	00	55
131		263	00	41
132		263 (Cart track)	00	02
133		262	00	36
134		265	00	14
135		265 (Nala)	00	15
136		265 (Cart track)	00	04
137		267/3	00	34
138		267/3 (Cart track)	00	02
139		266/1	00	02
140		266/2	00	05
141		266/3	00	33
142		272	00	30
143		272 (Nala)	00	07
144		305	00	01
145		279	01	84
146		280	00	20
147		281	00	26
148		282/4	00	25
149		282/3	00	30
150		289/1	00	41
151		289/4	00	55
152		289/2 (Road)	00	18
153		289/3	00	99
154		289/3 (Nala)	00	08
155		290/3	00	24
156		290/4	00	03
157	4. Gotukur	124/1	00	36
158		124/3	00	04
159		124/4	01	12
160		125	00	01
161		122	01	49
162		122 (Cart track)	00	01
163		129	00	24
164		130/4	00	73
165		130/3	00	41
166		130/3 (Cart track)	00	01
167		139	00	25
168		132/1	00	75
169		138	00	02
170		134	00	51
171		136/2A	00	38
172		136/2A (Cart track)	00	01
173		136/B	00	46
174		135/2	00	56
175		135/3B	00	09
176		135/3A	00	49

177	Gotukur	135/4A	00	02
178		171/1	00	23
179		171/2	00	13
180		171/3	00	22
181		172	00	80
182		166/2	00	43
183		165/3	00	49
184		163/2B	00	47
185		161	00	68
186		159/1B	00	40
187		159/1A	00	39
188		159/1A (Cart track)	00	01
189		158/1	00	28
190		158/2	00	28
191		324/1	00	48
192		324/3	00	01
193		324/2	00	58
194		325/1	00	01
195		324/4	00	03
196		325/5	00	44
197		325/3	00	05
198		325/2	01	27
199		314	00	01
200		313	00	76
201		312	01	51
202		310	00	45

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2053(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 62(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्रप्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारिख 21 जनवरी 2020 तक उपलब्द करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्द कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

मंडल : आत्माकूरु	**जिला : अनंतपुरमु**	**राज्य : आंध्र प्रदेश**		
क्रमांक	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं**	**क्षेत्रफल**	
			एकर्	**सेंट्स**
1	२.पदमातीयालेरू	429	00	02
2		428	02	14
3		427/1	00	56
4		402	00	32
5		403/1	01	75
6		404/2A	00	55
7		404/2B (पक्का रास्ता)	00	06
8		405/2 (पक्का रास्ता)	00	11
9		405/1	00	01
10		407	00	80
11		408/1	00	09
12		408/2	00	35
13		412	01	25
14		413/2	00	35
15		413/2 (कच्चा रास्ता)	00	02
16		413/3	00	11
17		414	00	89

18	पदमातीयालेरू	414 (कच्चा रास्ता)	00	06
19		320/1	00	29
20		319	00	94
21		318	00	37
22		320/2	00	89
23		315/4	00	13
24		315/4 (कच्चा रास्ता)	00	04
25		315/5	00	48
26		315/8	00	45
27		315/9	00	12
28		315/10	00	26
29		315/1	00	33
30		203/1	00	79
31		204/3	01	27
32		206/A	00	56
33		206/A (कच्चा रास्ता)	00	02
34		206/B	00	16
35		208/2	00	13
36		208/2 (नहर)	00	18
37		210/1C	00	69
38		210/1B	00	14
39		210/2F	00	37
40		210/2E	00	71
41		210/2D	00	26
42		209	02	02
43		209 (कच्चा रास्ता)	00	01
44		225	00	07
45		225 (नाला)	00	06

46	पदमातीयालेरू	226	00	20
47		227/2F	00	43
48		227/2E	00	46
49		227/2D	00	49
50		227/2C	00	34
51		133/1	00	35

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2053(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.62(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 21 January 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Atmakur	**District : Ananthapuramu**		**State : Andhra Pradesh**	
Sl.No.	**Name of the Village**	**Survey No.**	**Area**	
			Acres	**Cents**
1	2. Padamatiyaleru	429	00	02
2		428	02	14
3		427/1	00	56
4		402	00	32
5		403/1	01	75

6	Padamatiyaleru	404/2A	00	55
7		404/2B (Road)	00	06
8		405/2 (Road)	00	11
9		405/1	00	01
10		407	00	80
11		408/1	00	09
12		408/2	00	35
13		412	01	25
14		413/2	00	35
15		413/2 (Cart track)	00	02
16		413/3	00	11
17		414	00	89
18		414 (Cart track)	00	06
19		320/1	00	29
20		319	00	94
21		318	00	37
22		320/2	00	89
23		315/4	00	13
24		315/4 (Cart track)	00	04
25		315/5	00	48
26		315/8	00	45
27		315/9	00	12
28		315/10	00	26
29		315/1	00	33
30		203/1	00	79
31		204/3	01	27
32		206/A	00	56
33		206/A (Cart track)	00	02
34		206/B	00	16
35		208/2	00	13
36		208/2 (Lined Canal)	00	18
37		210/1C	00	69
38		210/1B	00	14
39		210/2F	00	37
40		210/2E	00	71
41		210/2D	00	25
42		209	02	02
43		209 (Cart track)	00	01
44		225	00	07
45		225 (Nala)	00	06
46		226	00	20
47		227/2F	00	43
48		227/2E	00	46
49		227/2D	00	49
50		227/2C	00	34
51		133/1	00	35

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2054(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 62(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्रप्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारिख 13 जनवरी 2020 तक उपलब्द करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्द कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : अमारापुरम	**जिला : अनंतपुरमु**	**राज्य : आंध्र प्रदेश**		
क्रमांक	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं**	**क्षेत्रफल**	
			एकर्	**सेंट्स**
1	१.अमारापुरम	465/2	00	25
2		465/2(कचा रास्ता)	00	02
3		465/1	00	37
4		372/1	00	02
5		372/2	00	42
6		372/3	00	42

7	अमारापुरम	372/4	00	40
8		373/1	00	26
9		370/6	00	33
10		370/4	00	35
11		370/2	00	40
12		370/3	00	37
13		370/3(कच्चा रास्ता)	00	02
14		370/1	00	21
15		377/1	00	01
16		378/7	00	53
17		378/6	00	11
18		378/5	00	20
19		378/4	00	17
20		378/3	00	14
21		379/3	00	12
22		379/1	00	29
23		378/2	00	18
24		378/1	00	19
25		379/2A	00	03
26		269/3	00	53
27		269/1	00	04
28		269/2	00	50
29		264	00	69
30		263/2	00	01
31		262	00	01
32		263/1	00	62
33		255/3	00	37
34		255/2	00	42
35		255/1	00	41
36		256/5	00	21
37		256/4	00	01

38	अमारापुरम	253/3	00	21
39		253/2	00	43
40		253/1	00	40
41		287/2	00	36
42		288	00	43
43		209	00	60
44		208 (कच्चा रास्ता)	00	11
45		207/3	00	06
46		207/2	00	70
47		207/1	00	21
48		205/4	00	11
49		205/3	00	27
50		205/2	00	23
51		205/1	00	20
52		203/2	00	43
53		203/2 (रास्ता)	00	06
54		203/2 (नाला)	00	02
55		203/1	00	03
56		178/1	00	22
57		179/1	00	22
58		179/2A	00	07
59		179/2B	00	14
60		179/2C	00	10
61		180/9	00	24
62		180/8	00	01
63		180/7	00	26
64		180/6	00	04
65		180/5	00	01
66		181/1	00	04
67		181/2	00	59
68		181/2(नाला)	00	03

69	अमारापुरम	180/10	00	01
70		189/3	00	27
71		189/2	00	06
72		189/1	00	29
73		71/3	00	02
74		72/4	00	65
75		72/3	00	17
76		72/2	00	05
77		72/1	00	06
78		66	01	19
79		66 (कच्चा रास्ता)	00	01
80		65	00	46
81		75/1	00	28
82		59/3	00	16
83		59/3 (रास्ता)	00	03
84		58	00	93
85		58 (रास्ता)	00	05
86	२.थम्माडेहल्ली	209/2	01	06
87		209/2 (पक्का रास्ता)	00	05
88		209/1	00	49
89		213/1	00	02
90		213/2	00	05
91		208/1	00	01
92		214/2	00	16
93		214/3	00	30
94		214/1	00	27
95		204/2	00	02
96		204/1	00	57
97		203/1	00	12
98		202/3	00	48
99		229/3	00	24

100	थम्माडेहल्ली	229/12	00	19
101		229/11	00	17
102		229/6	00	01
103		229/7	00	02
104		229/8	00	04
105		229/10	00	17
106		228/4	00	10
107		228/1	00	05
108		228/1 (नाला)	00	05
109		231/4	00	25
110		232/2	01	24
111		232/2(कचा रास्ता)	00	02
112		232/1	00	01
113		233/2	00	01
114		233/3	00	29
115		162/4	00	29
116		162/4(कचा रास्ता)	00	01
117		162/3	00	26
118		162/3(कचा रास्ता)	00	02
119		162/2	00	17
120		159/3	00	04
121		159/4	00	08
122		159/4 (नाला)	00	05
123		159/2	00	62
124		159/2(कचा रास्ता)	00	01
125		159/2 (नाला)	00	07
126		158/2	00	12
127		158/1	00	58
128		156	01	14
129		156 (कचा रास्ता)	00	02
130		154	00	73

131	थम्माडेहल्ली	153	01	20
132		152/2A	00	02
133		152/1	00	37
134		29/1	00	52
135		30/3	00	35
136		30/2	00	43
137		31/1	00	24
138		36/4	00	48
139		36/2	00	04
140		35/2	00	35
141		35/1	00	38
142		35/7	00	15
143		35/7(कच्चा रास्ता)	00	02
144		38/2	00	53
145		39/2	01	18
146		40/2	00	59
147		40/1	00	06

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2054(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.62(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 13 January 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Amarapuram	**District : Ananthapuramu**	**State : Andhra Pradesh**		
Sl.No.	**Name of the Village**	**Survey No.**	**Area**	
			Acres	**Cents**
1	1. Amarapuram	465/2	00	25
2		465/2 (Cart track)	00	02
3		465/1	00	37
4		372/1	00	02
5		372/2	00	42
6		372/3	00	42
7		372/4	00	40
8		373/1	00	26
9		370/6	00	33
10		370/4	00	35
11		370/2	00	40
12		370/3	00	37
13		370/3 (Cart track)	00	02
14		370/1	00	21
15		377/1	00	01
16		378/7	00	53
17		378/6	00	11
18		378/5	00	20
19		378/4	00	17
20		378/3	00	14
21		379/3	00	12
22		379/1	00	29
23		378/2	00	18
24		378/1	00	19
25		379/2A	00	03
26		269/3	00	53
27		269/1	00	04
28		269/2	00	50
29		264	00	69
30		263/2	00	01
31		262	00	01
32		263/1	00	62
33		255/3	00	37
34		255/2	00	42
35		255/1	00	41
36		256/5	00	21
37		256/4	00	01
38		253/3	00	21
39		253/2	00	43
40		253/1	00	40
41		287/2	00	36

42	Amarapuram	288	00	43
43		209	00	60
44		208 (Cart track)	00	11
45		207/3	00	06
46		207/2	00	70
47		207/1	00	21
48		205/4	00	11
49		205/3	00	27
50		205/2	00	23
51		205/1	00	20
52		203/2	00	43
53		203/2(Road)	00	06
54		203/2(Nala)	00	02
55		203/1	00	03
56		178/1	00	22
57		179/1	00	22
58		179/2A	00	07
59		179/2B	00	14
60		179/2C	00	10
61		180/9	00	24
62		180/8	00	01
63		180/7	00	26
64		180/6	00	04
65		180/5	00	01
66		181/1	00	04
67		181/2	00	59
68		181/2 (Nala)	00	03
69		180/10	00	01
70		189/3	00	27
71		189/2	00	06
72		189/1	00	29
73		71/3	00	02
74		72/4	00	65
75		72/3	00	17
76		72/2	00	05
77		72/1	00	06
78		66	01	19
79		66(Cart track)	00	01
80		65	00	46
81		75/1	00	28
82		59/3	00	16
83		59/3 (Road)	00	03
84		58	00	93
85		58 (Road)	00	05
86	2. Thammadehalli	209/2	01	06
87		209/2 (Road)	00	05
88		209/1	00	49
89		213/1	00	02
90		213/2	00	05
91		208/1	00	01
92		214/2	00	16
93		214/3	00	30

94	Thammadehalli	214/1	00	27
95		204/2	00	02
96		204/1	00	57
97		203/1	00	12
98		202/3	00	48
99		229/3	00	24
100		229/12	00	19
101		229/11	00	17
102		229/6	00	01
103		229/7	00	02
104		229/8	00	04
105		229/10	00	17
106		228/4	00	10
107		228/1	00	05
108		228/1 (Nala)	00	05
109		231/4	00	25
110		232/2	01	24
111		232/2 (Cart track)	00	02
112		232/1	00	01
113		233/2	00	01
114		233/3	00	29
115		162/4	00	29
116		162/4 (Cart track)	00	01
117		162/3	00	26
118		162/3 (Cart track)	00	02
119		162/2	00	17
120		159/3	00	04
121		159/4	00	08
122		159/4 (Nala)	00	05
123		159/2	00	62
124		159/2 (Cart track)	00	01
125		159/2 (Nala)	00	07
126		158/2	00	12
127		158/1	00	58
128		156	01	14
129		156 (Cart track)	00	02
130		154	00	73
131		153	01	20
132		152/2A	00	02
133		152/1	00	37
134		29/1	00	52
135		30/3	00	35
136		30/2	00	43

137	Thammadehalli	31/1	00	24
138		36/4	00	48
139		36/2	00	04
140		35/2	00	35
141		35/1	00	38
142		35/7	00	15
143		35/7 (Cart track)	00	02
144		38/2	00	53
145		39/2	01	18
146		40/2	00	59
147		40/1	00	06

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2055(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1469 (अ) दिनांक 28अप्रैल, 2020, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 14 मई, 2020 मे प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित शुद्धिया करती है।

अ) राजपत्र के हिन्दी संस्करण में पृष्ट संख्या 20 पर प्रकाशित की गई.

अधिसूचना

का. आ.62 (अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतित होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगान राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना जिला अनंतपुरमु से उपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतःअब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री के.मधुसूदन राव, सक्षम प्राधिकारी, हासन - चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,हाउस नं.6-2-425-2, एस.वी.निवास, नारायणा कान्सैप्ट स्कूल के पीछे कोवुर नगर एक्सटेंसन, अनंतपुरमु, आंध्रा प्रदेश-515001 को लिखित रूप मे आक्षेप भेज सकेगा।

आ) अधिसूचना को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर..

अधिसूचना

का.आ. 62(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 62(अ) तारीख 27 दिसंबर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्नअनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारिख 09जनवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्नअनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देनी है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

में बदल दिया जाए।

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2055(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following Corrigendum in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published vide S.O. No. 1469(E) Dated 28th April, 2020, published in the Extraordinary Gazette of India Dated 14th May, 2020, as under. In the Said Notification at.

a) The English version of the Gazette was published on page number 27.

NOTIFICATION

S.O. 62(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG Pipeline, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Ananthapuramu District of Andhra Pradesh State, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to The Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, H.No.6-2-425-2, S.V.Nivas, Behind Narayana Concept School, Kovur Nagar Extension, Ananthapuramu – 515001.

b) The notification to be removed and it should be replaced as.

NOTIFICATION

S.O. 62(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.62(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 2nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 09 January 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2056(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 61(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्रप्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 08 फ़रवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

मंडल : धोन	**जिला : कर्नूल**	**राज्य : आंध्र प्रदेश**		
क्रमांक	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं**	**क्षेत्रफल**	
			एकर्	**सेंट्स**
1	१.कोथाबुरुजु-२२	81	00	88
2		83	00	41
3		84	00	65
4		86	00	87
5		86 (पक्का रास्ता)	00	04
6		87/1	00	61
7		88	00	53

8	कोथाबुरुजु-२२	137	00	42
9		138	00	22
10		139	00	34
11		141	00	13
12		140/2	00	53
13		148	00	41
14		148 (कच्चा रास्ता)	00	01
15		151	00	60
16		152	00	64
17		153	00	27
18	२.एस.गुंडाला	167	00	11
19		164	00	26
20		166	00	93
21		165	00	11
22		145/2	00	60
23		145/1	00	21
24		146/1 (कच्चा रास्ता)	00	10
25		146/2	00	44
26		147/2	00	52
27		133/3	00	60
28		147/4	00	04
29		132/2	00	49
30		148	00	05
31		149/1	00	05
32		149/2	01	02
33		149/3	00	01
34		114	00	62
35		55	00	38
36		54	00	80
37		54 (पक्का रास्ता)	00	02
38		50	00	30
39		53	00	04
40		51	00	07
41		46/4	00	21

42	एस.गुंडाला	46/4 (कच्चा रास्ता)	00	02
43		46/3	00	42
44		47	00	30
45		64	00	42
46		65	00	63
47		65 (कच्चा रास्ता)	00	03
48		77	00	26
49		76/3	00	44
50		78	00	79
51		78(नाला)	00	04
52		81/3	00	11
53		79	00	89
54		80	00	51
55	३.एदुपेंटा	359	00	12
56		358	00	52
57		84	00	60
58		85	00	99
59		85 (कच्चा रास्ता)	00	04
60		83(नाला)	00	33
61		124	00	09
62		125 (पक्का रास्ता)	00	66
63		129	00	40
64		132	00	28
65		133	00	18
66		157	01	82
67		157 (कच्चा रास्ता)	00	02
68		162	00	56
69		158	00	59
70		154	00	34
71		152	00	22
72		186	00	21

73	एदुपेंटा	186 (कच्चा रास्ता)	00	01
74		187	01	38
75		189	00	06
76		191	00	40
77		192/3	00	26
78		225	00	65
79		223	00	61
80		223 (कच्चा रास्ता)	00	01
81		224	00	01
82		222/2B1	00	64
83		222/1A	00	50
84		222/1	00	72
85		771	00	33
86		770	00	62
87		769	01	51
88		769 (कच्चा रास्ता)	00	02
89		767	00	15
90		768	00	49
91		743	00	36
92		835	00	84
93		833	00	13
94		839	00	96
95		840	00	25
96		842/2	00	33
97		842/2(नाला)	00	07
98		842/2 (कच्चा रास्ता)	00	02
99		845/1	01	40
100		846	00	10
101		845/2	00	37
102		848	00	24
103		889	01	37
104		890	01	36

105	एदुपेंटा	890(नाला)	00	09
106	४.यप्पादिन्ने	866	01	25
107		869	00	35
108		867	00	27
109		868/B (रेल लाइन)	00	16
110		868/C	00	01
111		868/A	00	27
112		879/A	00	49
113		879/B	00	35
114		882/H	00	70
115		882/G	00	47
116		882/F	00	93
117		882/E	00	01
118		882/C	00	02
119		885/A	00	75
120		892/A (पक्का रास्ता)	00	09
121		885/B	00	03
122		882/A	00	08
123		883	00	33
124		924/B	00	41
125		924/C	00	65
126		924/D	00	02
127		924/D(नाला)	00	07
128		925/A	00	38
129		925/B	00	46
130		925/C	00	59
131		927	00	09
132		927(नाला)	00	05

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2056(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.61(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 08 February 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Dhone	**District : Kurnool**		**State : Andhra Pradesh**	
Sl.No.	**Name of the Village**	**Survey No**	**Area**	
			Acres	**Cents**
1	1. Kotha Buruju	81	00	88
2		83	00	41
3		84	00	65
4		86	00	87
5		86(Road)	00	04
6		87/1	00	61
7		88	00	53
8		137	00	42
9		138	00	22
10		139	00	34
11		141	00	13
12		140/2	00	53
13		148	00	41
14		148 (Cart track)	00	01
15		151	00	60
16		152	00	64
17		153	00	27
18	2. S.Gundala	167	00	11
19		164	00	26
20		166	00	93
21		165	00	11
22		145/2	00	60
23		145/1	00	21

24	S.Gundala	146/1 (Cart track)	00	10
25		146/2	00	44
26		147/2	00	52
27		133/3	00	59
28		147/4	00	04
29		132/2	00	49
30		148	00	05
31		149/1	00	05
32		149/2	01	02
33		149/3	00	01
34		114	00	62
35		55	00	38
36		54	00	80
37		54(Road)	00	02
38		50	00	30
39		53	00	04
40		51	00	07
41		46/4	00	21
42		46/4(Cart track)	00	02
43		46/3	00	42
44		47	00	30
45		64	00	42
46		65	00	63
47		65(Cart track)	00	03
48		77	00	26
49		76/3	00	44
50		78	00	79
51		78 (Nala)	00	04
52		81/3	00	11
53		79	00	89
54		80	00	51
55	3. Eddupenta	359	00	12
56		358	00	52
57		84	00	60
58		85	00	99
59		85(Cart track)	00	04
60		83 (Nala)	00	33
61		124	00	09
62		125	00	66
63		129	00	40
64		132 (Road)	00	28
65		133	00	18
66		157	01	82
67		157 (Cart track)	00	02
68		162	00	56
69		158	00	59
70		154	00	34
71		152	00	22
72		186	00	21
73		186 (Cart track)	00	01
74		187	01	38
75		189	00	06
76		191	00	40
77		192/3	00	26
78		225	00	65
79		223	00	61
80		223 (Cart track)	00	01
81		224	00	01
82		222/2B1	00	64

83	Eddupenta	222/1A	00	50
84		222/1	00	72
85		771	00	33
86		770	00	62
87		769	01	51
88		769 (Cart track)	00	02
89		767	00	15
90		768	00	49
91		743	00	36
92		835	00	84
93		833	00	13
94		839	00	96
95		840	00	25
96		842/2	00	33
97		842/2 (Nala)	00	07
98		842/2 (Cart track)	00	02
99		845/1	01	40
100		846	00	10
101		845/2	00	37
102		848	00	24
103		889	01	37
104		890	01	36
105		890 (Nala)	00	09
106	4 .Yapadinne	866	01	25
107		869	00	35
108		867	00	27
109		868/B (Railway)	00	16
110		868/C	00	01
111		868/A	00	27
112		879/A	00	49
113		879/B	00	35
114		882/H	00	70
115		882/G	00	47
116		882/F	00	93
117		882/E	00	01
118		882/C	00	02
119		885/A	00	75
120		892/A (Road)	00	09
121		885/B	00	03
122		882/A	00	08
123		883	00	33
124		924/B	00	41
125		924/C	00	65
126		924/D	00	02
127		924/D(Nala)	00	07
128		925/A	00	38
129		925/B	00	46
130		925/C	00	59
131		927	00	09
132		927 (Nala)	00	05

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2057(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 61(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्रप्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 05 फ़रवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : प्यापुली		जिला : कर्नूल	राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
			एकर्	सेंट्स
1	१.कालाचेतला	84	00	79
2		83	00	98
3		82(नाला)	00	21
4		79	00	85
5		75 (कच्चा रास्ता)	00	04
6		73	00	69
7		62(नाला)	00	42

8	कालाचेतला	70	01	09
9		69/1	00	67
10		68/1	00	33
11		66	01	49
12	२.एस.रंगापुरम	52/2	00	64
13		52/2 (कच्चा रास्ता)	00	01
14		51	00	77
15		50	01	51
16		48/1	00	09
17		11	00	28
18		10	01	21
19		16/1	00	30
20		16/1 (कच्चा रास्ता)	00	02
21		15/1	00	39
22		14/1	00	31
23		14/2 (पक्का रास्ता)	00	11
24		14/3	01	11
25		14/3(नाला)	00	13
26		3	00	37
27		2	00	53
28		1	01	01
29		621/6B	00	71
30	३.पेद्दापोदीला	621/6A	00	20
31		621/5A	00	15
32		767	00	02
33		621/4	00	15
34		652	04	27
35		652(नाला)	00	04
36		737/2	00	03
37		737/1	00	14
38		694	00	63
39		693	00	18
40		692	00	11
41		629	00	91

42	पेद्दापोदीला	220/1	00	85
43		218	00	57
44		217	00	92
45		217(नाला)	00	03
46		215	00	21
47		212	00	74
48		212 (कच्चा रास्ता)	00	02
49		210	00	99
50		114	00	65
51		105	00	40
52		104/2	00	91
53		103/1	00	61
54		103/2	00	24
55		102/2A	00	45

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2057(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.61(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 05 February 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Peapully	District : Kurnool	State : Andhra Pradesh

Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area	
			Acres	Cents
1	1 Kalachetla	84	00	79
2		83	00	98
3		82(Nala)	00	21
4		79	00	85
5		75(Cart track)	00	04
6		73	00	69
7		62(Nala)	00	42
8		70	01	09
9		69/1	00	67
10		68/1	00	33
11		66	01	49
12	2.S.Rangapuram	52/2	00	64
13		52/2 (Cart track)	00	01
14		51	00	77
15		50	01	51
16		48/1	00	09
17		11	00	28
18		10	01	21
19		16/1	00	30
20		16/1 (Cart track)	00	02
21		15/1	00	39
22		14/1	00	31
23		14/2 (Road)	00	11
24		14/3	01	11
25		14/3 (Nala)	00	13
26		3	00	37
27		2	00	53
28		1	01	01
29	3 Peddapodilla	621/6B	00	71
30		621/6A	00	20
31		621/5A	00	15
32		767	00	02
33		621/4	00	15
34		652	04	27
35		652(Nala)	00	04
36		737/2	00	03
37		737/1	00	14
38		694	00	63
39		693	00	18
40		692	00	11
41		629	00	91
42		220/1	00	85
43		218	00	57

44	Peddapodilla	217	00	92
45		217(Nala)	00	03
46		215	00	21
47		212	00	74
48		212(Cart track)	00	02
49		210	00	99
50		114	00	65
51		105	00	40
52		104/2	00	91
53		103/1	00	61
54		103/2	00	24
55		102/2A	00	45

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2058(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 61(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्रप्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 08 फ़रवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : कोडुमुर	जिला : कर्नूल	राज्य : आंध्र प्रदेश		
क्रमांक	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
			एकर्	सेंट्स
1	१.लद्दागीरी	800(नदी)	01	18
2		813/A	01	11
3		813/B	00	41
4		813/ B (कच्चा रास्ता)	00	05
5		810	00	63
6		810(कच्चा रास्ता)	00	01
7		807	00	29
8		806	00	80
9		775/D	00	31
10		777/C	00	09
11		777/B	00	03
12		777/B (पक्का रास्ता)	00	07
13		777/A	00	80
14		777/A (पक्का रास्ता)	00	03
15		782	01	02
16		783/B	00	08
17		783/A	00	84
18		783/A(कच्चा रास्ता)	00	02
19		757	00	69
20		761	01	00
21		760	00	63
22		688	00	85
23		688 (नाला)	00	03
24		689	00	82
25		691/B	00	67
26		691/B(नाला)	00	06
27		709(नाला)	00	13
28		691/A	00	01
29		692	00	01
30		708	01	10
31		708(कच्चा रास्ता)	00	01
32		707/1	00	06

33	लद्दागीरी	707/2	00	26
34		697/1B	00	53
35		697/1C	00	03
36		697/D2	00	46
37		697/D1	00	29
38		621/B	00	20
39		621/2	00	08
40		621/3A	00	62
41		621/3A (कच्चारास्ता)	00	01
42		623/1C1	00	02
43		623/1C2	01	09
44		623/1B	00	02
45		623/1A2	00	82
46		612/B	00	08
47		612/B(कच्चा रास्ता)	00	01
48		611/B	00	23
49		614/1A	00	28
50		613/6	00	10
51		613/5	00	05
52		613/2	00	05
53		613/1	00	09
54		610	00	56
55		609	00	63
56		608	00	98
57		608(नहर)	00	07
58	२.एरादोड्डी	99	00	32
59		99(कच्चा रास्ता)	00	08
60		98	01	69
61		97	00	42
62		97 (नाला)	00	06
63		96	01	70
64		94/1	00	43
65		94/1(पक्का रास्ता)	00	03
66		68	01	49
67		72	00	70
68		72 (नाला)	00	09

69	एरादोड्डी	77	02	23
70		76	01	10
71		76 (कच्चारास्ता)	00	01
72	३.अनुगोंडा	224	00	38
73		220	00	42
74		219	00	44
75		191	01	01
76		192	00	47
77		193	00	84
78		193(कच्चा रास्ता)	00	01
79		194	00	90
80		174	00	58
81		155	00	11
82		157	01	40
83		158	01	40
84		168	01	37
85		168 (नाला)	00	04
86		167	00	53
87		167 (नाला)	00	08
88		57	02	07
89		61	00	91
90		60	00	92
91		68	01	62
92		68 (नाला)	00	03
93		72	00	87
94		71	00	82

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2058(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 61(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 08 February 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Kodumur	**District : Kurnool**		**State : Andhra Pradesh**	
Sl.No.	**Name of the Village**	**Survey No.**	**Area**	
			Acres	**Cents**
1	1. Laddagiri	800(Handri river)	01	18
2		813/A	01	11
3		813/B	00	41
4		813/B(Cart track)	00	05
5		810	00	63
6		810 (Cart track)	00	01
7		807	00	29
8		806	00	80
9		775/D	00	31
10		777/C	00	09
11		777/B	00	03
12		777/B (Road)	00	07
13		777/A	00	80
14		777/A (Road)	00	03
15		782	01	02
16		783/B	00	08
17		783/A	00	84
18		783/A (Cart track)	00	02
19		757	00	69
20		761	01	00
21		760	00	63
22		688	00	85
23		688 (Nala)	00	03
24		689	00	82
25		691/B	00	67
26		691/B(Nala)	00	06
27		709 (Nala)	00	13
28		691/A	00	01
29		692	00	01
30		708	01	10
31		708 (Cart track)	00	01
32		707/1	00	06
33		707/2	00	26
34		697/1B	00	53

35	Laddagiri	697/1C	00	03
36		697/D2	00	46
37		697/D1	00	29
38		621/B	00	20
39		621/2	00	08
40		621/3A	00	62
41		621/3A(Cart track)	00	01
42		623/1C1	00	02
43		623/1C2	01	09
44		623/1B	00	02
45		623/1A2	00	82
46		612/B	00	08
47		612/B (Cart track)	00	01
48		611/B	00	23
49		614/1A	00	28
50		613/6	00	10
51		613/5	00	05
52		613/2	00	05
53		613/1	00	09
54		610	00	56
55		609	00	63
56		608	00	98
57		608 (Canal)	00	07
58	2. Yerradoddi	99	00	32
59		99 (Cart track)	00	08
60		98	01	69
61		97	00	42
62		97 (Nala)	00	06
63		96	01	70
64		94/1	00	43
65		94/1 (Road)	00	03
66		68	01	49
67		72	00	70
68		72 (Nala)	00	09
69		77	02	23
70		76	01	10
71		76(Cart track)	00	01
72	3. Anugonda	224	00	38
73		220	00	42
74		219	00	44
75		191	01	01
76		192	00	47
77		193	00	84
78		193 (Cart track)	00	01
79		194	00	90
80		174	00	58
81		155	00	11
82		157	01	40

83	Anugonda	158	01	40
84		168	01	37
85		168 (Nala)	00	04
86		167	00	53
87		167 (Nala)	00	08
88		57	02	07
89		61	00	91
90		60	00	92
91		68	01	62
92		68 (Nala)	00	03
93		72	00	87
94		71	00	82

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2059(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 61(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्रप्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 11 फ़रवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : तुग्गली	**जिला : कर्नूल**		**राज्य : आंध्र प्रदेश**	
क्रमांक	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं**	**क्षेत्रफल**	
			एकर्	**सेंट्स**
1	१.कंदमकुंतला	711	00	39
2		711(नाला)	00	06
3		710	00	06
4		706	00	09
5		709	01	17
6		708/1	01	03
7		648(नाला)	00	46
8		659	01	00
9		645	00	92
10		645(नाला)	00	01
11		642	00	01
12		642(नाला)	00	02
13		644/2	01	00
14		644/2(नाला)	00	05
15		644/1	00	07
16		643	00	45
17		647	00	65
18		651/2	00	93
19		651/1	00	99
20		602	00	09
21		584(नाला)	00	27
22		601	00	04
23		600	00	43
24		599	01	16
25		594	00	09
26		591	00	98
27		591 (पक्का रास्ता)	00	05

28	कंदमकुंतला	564	01	18
29		560	00	26
30		558	00	84
31		562	00	34
32		561	00	30
33		747	00	85
34		557/1	00	74

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2059(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 61(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 11 February 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Tuggali	**District : Kurnool**		**State : Andhra Pradesh**	
Sl.No.	**Name of the Village**	**Survey No.**	**Area**	
			Acres	**Cents**
1	1.Kandamakuntla	711	00	39
2		711(Nala)	00	06
3		710	00	06
4		706	00	09
5		709	01	17
6		708/1	01	03
7		648(Nala)	00	46

8	Kandamakuntla	659	01	00
9		645	00	92
10		645(Nala)	00	01
11		642	00	01
12		642(Nala)	00	02
13		644/2	01	00
14		644/2(Nala)	00	05
15		644/1	00	07
16		643	00	45
17		647	00	65
18		651/2	00	93
19		651/1	00	99
20		602	00	09
21		584(Nala)	00	27
22		601	00	04
23		600	00	43
24		599	01	16
25		594	00	09
26		591	00	98
27		591(Road)	00	05
28		564	01	18
29		560	00	26
30		558	00	84
31		562	00	34
32		561	00	30
33		747	00	85
34		557/1	00	74

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2060(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 61(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्रप्रदेश राज्य में हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 08 फ़रवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : गुडूर	**जिला : कर्नूल**	**राज्य : आंध्र प्रदेश**		
क्रमांक	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं**	**क्षेत्रफल**	
			एक	**सेंट्स**
1	१.बुदीडापाडु	124/2B3	00	51
2		124/2B2(नाला)	00	03
3		124/2B1	00	30
4		128/A	00	04
5		127/1	00	12
6		126/1	00	17
7		125/1	00	29
8		119	01	65
9		117/1A	00	18
10		116	01	43
11		116 (पक्का रास्ता)	00	06
12		130 (पक्का रास्ता)	00	05
13		145/1	00	02
14		145/2	00	32
15		146/2 (कच्चा रास्ता)	00	07
16		147/2	00	38
17		148	00	01
18		186/2	00	11
19		184	00	18

20	बुदीडापाडु	185	00	43
21		187/2	00	15
22		188	01	52
23		188 (कच्चा रास्ता)	00	02
24		191/3	00	04
25		176	00	82
26		175/3	00	30
27		174/1C	00	10
28		174/1B(नहर)	00	12
29		174/1A	00	76
30		197	00	06
31		196	00	03
32		195	00	32
33		201	00	86
34		200	00	21
35		208	00	80
36	२.कुरुवानागलापुरम	15/1A3A	00	62
37		15/1A2A	00	31
38		15/1A1-A2	00	73
39		15/1A1A1 (नाला)	00	01
40		9/2	00	05
41		9/1	00	01
42		8/3	00	65
43		8/2(नाला)	00	02
44		1	01	28
45		14/2A	00	56
46		13/3B	00	83

[फा. सं. आर-11025(15)/10/ 2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2060(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.61(E) dated the 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02nd January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 08 February 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Gudur	**District : Kurnool**		**State : Andhra Pradesh**	
Sl.No.	**Name of the Village**	**Survey No**	**Area**	
			Acres	**Cents**
1	1 Budidapadu	124/2B3	00	51
2		124/2B2 (Nala)	00	03
3		124/2B1	00	30
4		128/A	00	04
5		127/1	00	12
6		126/1	00	17
7		125/1	00	29
8		119	01	65
9		117/1A	00	18
10		116	01	43
11		116 (Road)	00	06
12		130 (Road)	00	05
13		145/1	00	02
14		145/2	00	32
15		146/2 (Cart track)	00	07
16		147/2	00	38
17		148	00	01
18		186/2	00	11
19		184	00	18
20		185	00	43
21		187/2	00	15
22		188	01	52
23		188 (Cart track)	00	02
24		191/3	00	04

25	Budidapadu	176	00	82
26		175/3	00	30
27		174/1C	00	10
28		174/1B (Canal)	00	12
29		174/1A	00	76
30		197	00	06
31		196	00	03
32		195	00	32
33		201	00	86
34		200	00	21
35		208	00	80
36	2 Kuruva Nagalapuram	15/1A3A	00	62
37		15/1A2A	00	31
38		15/1A1-A2	00	73
39		15/1A1A1(Nala)	00	01
40		9/2 (Nala)	00	05
41		9/1	00	01
42		8/3	00	65
43		8/2 (Nala)	00	02
44		1	01	28
45		14/2A	00	56
46		13/3B	00	83

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.29 21:26:19 +05'30'